न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**राकेश कुमार मीना आर.ए.एस**,उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

अनुवान

रतन सिह **बनाम** **तेज कौर वगैरा**

राजस्व वाद : खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा — 54/2019 **निर्णय दिनांकः—** 23.08.2024

रतन सिह पुत्र तेज सिह जाति राजपूत सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादी

बनाम

1. तेज कौर पत्नि अंग्रेज सिह
2. सरजीत सिह | पुत्र पुत्रीयां अजमेर सिह
3. हरपाल सिह
4. मूर्ति
5. वीरपाल कौर
6. जगसीर सिह पुत्र बुधराम
7. मनजीत कौर पत्नि बुधराम(फौत)(नामकलमजन)
8. निर्मला | पुत्रीयां बुधराम
9. किरणा
10. सोमा
11. रीटा
12. रानी

(1 से 12) जाति तरखान सा. ढाबां तह. संगरिया

13. राजेन्द्र उर्फ राजु पुत्र मनीराम | जाति जाट सा. ढाबां तह. संगरिया
14. सींगारी पत्नि श्योजी
15. मनीराम पुत्र चन्दुराम
16. हरदेव सिह | पि. सुन्दर सिह | जाति जटसिख सा. संगरिया
17. टेक सिह
18. बहादर सिह
19. उजागर सिह पुत्र सुन्दर सिह (फौत)

19/1 राजविन्द्र सिह पुत्र उजागर सिह

20. समुन्द्र सिह पुत्र सुन्दर सिह
21. मांगीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट सा. ढाबां तह. संगरिया(फौत)

21/1 जोण्टी बैनीवाल पुत्र मांगीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट सा.ढाबां तह. संगरिया

21/2 विजय बैनीवाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट सा. ढाबां तह. संगरिया

22. जयप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट सा. ढाबां तह. संगरिया
23. भुपेन्द्र सिह | पि. जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख सा . ढाबां तह. संगरिया
24. परविन्द्र सिह
25. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा ढाबां तह. संगरिया
26. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक ढाबां तह. संगरिया
27. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 13:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू —अधिवक्ता वादी

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादी के नाम चक 6 बी.जी.पी. ए खाता स. 33/32 खाता तेज कौर वगैरा ज. स. 2069—72 में तथा इसी चक के खाता स. 77/75 खाता राजेन्द्र वगैरा तथा इसी चक के खात स. 100/84 खाता सिंगारी वगैरा में सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातों की जमाबन्दीयां संलग्न है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी ने प्रतिवादीगण के साथ काश्त की सुविधाओं को मददेनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादी निम्नानुसार खाता अलग अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार हैः—

वादी रतन सिह पुत्र तेज सिह का हिस्साः—

चक 6 बी.जी.पी. ए

203/135	11	16—17/.253प्र. 18/.009 21/.025 22/.003 23/.010 24—25/.253प्र.
203/136	22	2/.047 3/.025 4—5/.253प्र. 8/.253

वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी साझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग—2 कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा रकम राज अलग—2 कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे। लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।अतः वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रति स. 1 ता 6—13—16—18—22 ता 26 की तलबी जरिये साधारण सम्मन होने पर इनके हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रति स. 1 ता 6, 8 ता 18, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 22 ता 26 की तलबी जरिये रजि0 ए.डी. व प्रति स. 29 की तलबी जरिये अखबार होने पर इनके हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रति स. 27 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल है। प्रशनगत भुमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जाकाश्त की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र कमांकः— प्रा.डिकी./ भु.अ./023/132 दिनांक 18—01—2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है। प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 6 बी.जी.पी. ए खाता स. 33/32 खाता तेज कौर वगैरा ज.स. 2069—72 में तथा इसी चक के खाता स. 77/75 खाता राजेन्द्र वगैरा तथा इसी चक के खात स. 100/84 खाता सिंगारी वगैरा में साझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 13:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अवलोकन से साबित है कि वादी एव प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रशनगत आराजी पर पक्षकारो का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते चले रहे है। वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

चक 6 बी.जी.पी. (ए) के खाता स. 96/33 में कुल रकबा 0.506 है0 में मौके पर कब्जाकाश्त की भुमिः–

1 रतन सिह पुत्र तेज सिह जाति राजपुत सा. ढाबां रहिन पी.एन.बी. शाखा ढाबां
203/136 22 8/.253 = 0.253 है0 बारानी प्रथम

2 जगसीर सिह पुत्र बुधराम जाति तरखान सा. ढाबां
203/136 22 7/.253 = 0.253 है0 बारानी प्रथम

चक 6 बी.जी.पी. (ए) के खाता स. 97/100 में कुल रकबा 5.819 है0 मे मौके पर कब्जाकाश्त की भुमिः–

रतन सिह पुत्र तेज सिह जाति राजपुत सा. ढाबां रहिन पी.एन.बी. शाखा ढाबां
203/135 11 16–17–24–25/.253प्र
203/136 22 4–5/.253प्र.

2 राजेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट सा. ढाबां
203/135 11 14–15/.253प्र.

3 गुरदीप सिह, सुखमन्द्र सिह पि. मंगल सिह जाति जटसिख सा. ढाबां
204/135 12 11–20/.253प्र.

4 पुखराज सिह, नवनीत सिह पि. दलबारा सिह जाति जटसिख सा. ढाबां
204/135 12 12–13/.253प्र0

5 भुपेन्द्र सिह 0.886हि, परविन्दर सिह 1.138 हि. पि. जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. ढाबां , भुपेन्द्र सिह 0.632 हि. परविन्दर सिह 0.886 हि. रहिन पी.एन.बी. शाखा ढाबां
204/135 12 18–19–21/.253प्र.
204/136 21 1–2–3–10/.253प्र.
203/136 22 6/.253
कुल 2.024 है0 बारानी प्रथम

6 गुरजीत सिह पुत्र बन्ता सिह जाति जटसिख सा. ढाबां
204/136 12 22–23/.253प्र. बारानी प्रथम

7 जयप्रकाश पुत्र ख्यालीराम 0.127 हि0 जोन्टी बैनीवाल, विपिन कुमार पि. अनिरूद्व बैनीवाल ब.हि.ब. 0.084 हि. रानीदेवी पत्नी अनिरूद्व बैनीवाल 0.042 हि. जाति जाट सा. ढाबां
204/136 21 8/.253

चक 6 बी.जी.पी.(ए) के खाता स. 100/77 में कुल 2.277 है0 से मौके पर कब्जाकाश्त की भुमिः–

1 भागवन्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार 1.265 हि. राजेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम 0.89 जाति जाट सा. ढाबां भागवन्ती रहिन एस.बी.आई.शाखा ढाबां
203/135 11 13–18–19–20/.253प्र. 21/1/.228 22/1/.250
23/.253
203/136 22 2/1/.202 3/1/.213
कुल रकबा 2.158 है. बारानी प्रथम

2 रतन सिह पुत्र तेज सिह जाति राजपूत सा. ढाबां
203/135 11 21/2/.025 22/2/.003
204/136 22 2/2/.051 3/2/.040
कुल रकबा 0.119 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 13:36:
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिकी./ भु.अ./023/132 दिनांक 18–01–2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ......X...... मुब्लिक ......X...... बाबत ......X...... खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करें।

वसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.8.24 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.07 13:36:38 IS
Reason: SelfAttested